रजिस्ट्री सं. डीएल(एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003—05

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 16] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 22—अप्रैल 28, 2006 (वैशाख 2, 1928)

No. 16] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 22—APRIL 28, 2006 (VAISAKHA 2, 1928)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I--खण्ड-1--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	365
भाग I--खण्ड-2--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	353
भाग I--खण्ड-3--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1
भाग I--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गईं सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	505
भाग II--खण्ड-1--अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II--खण्ड-1क--अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II--खण्ड-2--विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II--खण्ड-3--उप-खण्ड (i)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II--खण्ड-3--उप-खण्ड (ii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II--खण्ड-3--उप-खण्ड (iii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III--खण्ड-1--उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गईं अधिसूचनाएं	1141
भाग III--खण्ड-2--पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गईं पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	181
भाग III--खण्ड-3--मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गईं अधिसूचनाएं	*
भाग III--खण्ड-4--विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गईं अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	1245
भाग IV--गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	373
भाग V--अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	365
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	353
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	1
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	505
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	1141
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	181
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the Authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1245
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	373
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]
[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]
[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 16 मार्च 2006

सं. 5(18)/2002-लेदर--औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग की दिनांक 03 नवम्बर, 2005 की अधिसूचना सं. 5(18)/2002-लेदर के साथ जारी किए गए दिशा-निर्देशों के पैरा 5.1.3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जांच समिति, इस बात से संतुष्ट हुई है कि ऐसा करना जन-हित में आवश्यक था, एतद्द्वारा भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) की अधिसूचना संख्या 5(18)/2002-लेदर दिनांक 03 नवम्बर, 2005 में निम्नलिखित संशोधन करती है, नामेत:--

उक्त अधिसूचना में,--

(I) दिशानिर्देशों में

(i) पैरा 2.1 के नीचे तथा पैरा 2.2 के पहले निम्नलिखित पंक्तियों को पैरा 2.1.1 के रूप में जोड़ा जाये;

"न्यायालय के आदेशों के कारण कोलकाता (पश्चिम बंगाल) तथा इरोड (तमिलनाडु) स्थित बन्द हुए चर्मशोधनशालाओं (टेनरी) को जारी की गई अधिसूचना के उपरोक्त दिशा-निर्देशों के पैरा 2.1 में निर्धारित मौजूदा एकक के रूप में विचार किए जाने के लिए 3 नवम्बर, 2005 को अस्तित्व के 3 वर्ष तथा कम से कम दो वर्ष के लिए नकद लाभ प्राप्त करने की धारा में निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन छूट प्रदान की जायेगी :--

(क) न्यायालय के आदेश के कारण बन्द किये जाने से पूर्व चर्मशोधनशाला को 3 वर्ष की अवधि के लिए अस्तित्व में होना चाहिए;

(ख) न्यायालय के आदेश के कारण चर्मशोधनशाला को बन्द किए जाने से पूर्व दो वर्ष के लिए नकद लाभ प्राप्त करना चाहिए;

(ग) चर्मशोधनशाला को नये स्थान का पुन: आवंटन होना चाहिए तथा सामान्य बहि:स्राव संयंत्र का सदस्य होना चाहिए; तथा

(घ) चर्मशोधनशाला के पुन: आवंटन तथा संचालन के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों/अन्य निकायों से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त की जानी चाहिए।

गौरी सिंह
निदेशक

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग)

संकल्प

विषय :-- प्रतिलिप्याधिकार प्रवर्तन सलाहकार परिषद्--मुख्य संकल्प में संशोधन

सं. 7-4/2003-आई.सी.--भारत सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय (माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग) में सरकार के दिनांक 22 फरवरी, 2005 के समसंख्यक संकल्प में निम्नलिखित संशोधन करने का निर्णय लिया है जो 8 मार्च, 2006 से प्रभावी होंगे, यथा :--

उक्त संकल्प में,--

पैरा सं. 4(i) में उल्लिखित "अपर सचिव" के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा--

अध्यक्ष;"सचिव", माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (पदेन)

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की एक-एक प्रति राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रदेश प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, संसदीय कार्य विभाग, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, राष्ट्रपति सचिवालय, योजना आयोग को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत सरकार के राजपत्र में आम सूचनार्थ प्रकाशित किया जाए।

केशव देसिराजू
संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION)

New Delhi, the 16th March 2006

No. 5(18)/2002-Leather.—In exercise of the powers conferred by para 5.1.3 of the guidelines issued alongwith Department of Industrial Policy and Promotion's Notification No. 5 (18) 2002-Leather dated November 3, 2005, the Screening Committee being satisfied that it is necessary in public interest to do so, hereby makes the following amendments in the Notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department of Industrial Policy and Promotion) No. 5 (18) 2002-Leather dated November 3, 2005, namely :—

In the said Notification,—

(I) in the guidelines,—

(i) Below para 2.1 and above para 2.2 the following lines may be added as para 2.1.1.—

"Tannery closed down on account of Court Orders at Kolkata (West Bengal) and Erode (Tamil Nadu) will be granted relaxation of the clause of 3 years existence and having cash profits for at least two years on November 3, 2005 for being considered as an existing unit stipulated in para 2.1 of the above-mentioned guidelines of the Notification issued, subject to the following conditions:—

(a) the tannery should have been existence for a period of 3 years prior to closure on account of court order;

(b) the tannery should have a cash profit for two years before the closure on account of the Court Order;

(c) the tannery should have relocated to a new place and should be a member of a Common Effluent Treatment Plant; and

(d) necessary clearance from concerned Ministries/Departments/Other Bodies for relocation and operation of the tannery should have been obtained.

GAURI SINGH
Director

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF SECONDARY AND HIGHER EDUCATION)

RESOLUTION

Subject : Copyright Enforcement Advisory Council—Amendment in Prinicpal Resolution.

No. 7-4/2003-IC.—The Government of India have decided to make the following amendment in the Resolution of the Government of India in the Ministry of Human Resource Development (Department of Secondary and Higher Education) of even number dated the 22nd February, 2005, with effect from March 8, 2006, namely:—

In the said Resolution,—

For Paragraph no. 4 (i) in place of "Additional Secretary" the following shall be substituted:—

Chairman; "Secretary", Department of Secondary and Higher Education, Ministry of Human Resource Development (Ex-officio)

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all the State Governments and Administrations of Union Territories, all Ministries of the Government of India and their Department, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Office, Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, President's Secretariat, Planning Commission.

Ordered also that the Resolution be publihsed in the Gazette of India for information.

KESHAV DESIRAJU
Joint Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2006
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD, AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2006